न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 59/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी राजबेरा

बनाम

गैर सायल

जीयाराम पिता दूदा राम
जाति जाट निवासी हनुमानपुरा

"निर्णय" दिनांकः–20.05.2025

पत्रावली आज बमुकाम भिंयाड़ में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित पत्रावली व हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजबेरा ने धारा आर.ए आर. एक्ट 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा हनुमानपुरा खसरा नं. 918 रकबा 28.2794 हैक्टेयर किस्म गै.मु.गौचर में से 0.48 हैक्टेयर राजकीय भूमि प अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गै सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गै सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/अ गैर सायल उपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गै सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारि किये जाते है। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 18/ पूर्णाक में अक्षरे अठारह रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना से आवश्यक रूप से एक मा में पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का,निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मां कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 20.05.2025 को सरेआम सुनाया गया।

नायब तहसीलदार भिंया

भिंयाड़

Scanned with OKEN Scanner